



दूरभाष 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : २५६७ / ०५/७६/एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : ०९ सितम्बर २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखीमपुर खीरी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मलिन वसियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मलिन वसियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20295441879	IFSC Code ALLA0210285	₹ 137.703
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में दुकराल ट्रांसपोर्ट वाले के घर से बंटी सरदार के घर तक तथा मनोज गुप्ता के घर से लवली नर्सरी वालों के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	19.694
2	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में मंगल सिंह के मकान से नहर पट्टी रोड तक तथा कुलदीप मिश्रा से दुर्गा मंदिर वाया जयपाल सिंह, माया, नहर पट्टी रोड तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	18.759
3	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में प्रतिमा श्रीवारतव के मकान रो नहर पट्टी रोड तक तथा अनूप राजवंशी के मकान से रेलवे लाइन तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	20.223
4	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में सरला गौतम के मकान से नहर पट्टी रोड तक तथा दिनेश राकोना के मकान रो राजेश वर्मा के मकान तक वाया राहुल श्रीवारतव से दीपक श्रीवास्तव और एल०पी० गौड़ से रामपाल के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	16.250
5	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में मधु के घर से रेलवे लाइन तक तथा अखिलेश के घर से रेलवे लाइन तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	19.382
6	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में एस०क०० सिंह के मकान से मनोज गुप्ता के मकान तक तथा रंजीत छाबड़ा के मकान से चंद्रप्रकाश शुक्ला के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	9.778
7	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में सरदार गुरुदेव के मकान से आनन्द के मकान होते हुये सरदार रंजीत सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	4.965



३४५१८

दूरभाष 2286709
2286710
नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
8	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में श्रवण अग्रवाल के मकान से ऋषि आश्रम रोड तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	4.511
9	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में गोहल्ला पंजाबी कालोनी में सरदार गुरुदेव के मकान से अमरीश सिंह के मकान तक तथा मनमीत सिंह उर्फ मिट्ट के मकान से लखीर सिंह के मकान के आगे तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	11.998
10	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं० ०९, बरखेरवा, में मोहल्ला पंजाबी कालोनी में रमेश थापर के मकान से संतोष पैलेस रोड तक तथा आर०फ० सिंह के मकान से धनराज अग्रवाल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	12.143
	योग				137.703

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसिताओं तथा मलिन वसिताओं में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना एतु रवीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार ही किया जाये।

- 1 अ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसिताओं तथा मलिन वसिताओं में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना एतु रवीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2 स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3 - प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी रवीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4 - अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5 - स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6 - प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7 - परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8 - योजनानान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9 - उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निर्हित गद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनानान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि ये प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि रो ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10 - प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



३५१

पूरमाण 2286709
2286710
नव चतना केन्द्र, 10 आशोक गार्ड, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किरी प्रकार का व्यवहर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक